संख्या-20/2025/आई/863395/2025/001-23-14002(003)/4/2024-4

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत लखनऊ मण्डल के 43 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-11446/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2024-25, दिनांक 23.12.2024, पत्रांक-11499/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2024-25, दिनांक 26.12.2024, पत्रांक-11529/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2024-25, दिनांक 27.12.2024, पत्रांक-11591/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2024-25, दिनांक 31.12.2024 एवं पत्रांक-11621/CE-HQ1/CHINIMILL/LKO/2024-25, दिनांक 31.12.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 43 चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल रू0 484.03 लाख (रूपये चार करोड़ चौरासी लाख तीन हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक लागते	बचत	बचत उपरान्त की लागत	अनुरक्षण की लागत	अनुरक्षण की लागत घटाने के उपरान्त धनराशि	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**नि.ख. सीतापुर**	सीतापुर- परसदा मार्ग से किन्ळौटी संपर्क मार्ग	53.41	2.06	51.35	4.80	46.55	37.89	8.66
2	**नि.ख. सीतापुर**	सलेमपुर से अलीरजा संपर्क मार्ग	25.19	1.30	23.89	2.27	21.62	7.85	7.56
3	**नि.ख. सीतापुर**	गौरिया-जलापुर से बेलन्दापुर संपर्क मार्ग	43.86	1.65	42.21	3.94	38.27	31.13	7.14
4	**नि.ख. सीतापुर**	सिधौली मिश्रिख मार्ग से काकोरी संपर्क मार्ग	27.59	1.08	26.51	2.48	24.03	19.58	4.45
5	**नि.ख. सीतापुर**	रालामऊ लोहंगपुर से गुमटा संपर्क मार्ग	41.70	1.55	40.15	3.75	36.40	25.49	10.91
6	**नि.ख. सीतापुर**	फततेपुर से नईगढ़ी संपर्क मार्ग	61.13	2.22	58.91	5.50	53.41	43.37	10.04
7	**नि.ख.-3 खीरी**	गोला कुकरा टाउन अवशेष भाग	242.93	6.59	236.34	21.83	214.51	186.19	25.00
8	**प्रा.ख. खीरी**	चीनी मिल रोड से जसमढी	47.80	4.15	43.65	4.30	39.35	9.55	14.34

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		मार्ग							
9	**प्रा.ख. खीरी**	चीनी मिल से बहिरवां मार्ग	15.11	1.31	13.80	1.36	12.44	3.02	4.53
10	**प्रा.ख. खीरी**	ममरी रोशनगर मार्ग से परेली मार्ग प्रथम	30.28	3.06	27.22	2.73	24.49	21.48	3.01
11	**प्रा.ख. खीरी**	ममरी रोशननगर से परेली संपर्क मार्ग	62.79	6.42	56.37	5.64	50.73	44.56	6.17
12	**प्रा.ख. खीरी**	अजान सुहेला मार्ग प्रथम भाग	24.60	2.54	22.06	2.21	19.85	17.46	2.39
13	**प्रा.ख. खीरी**	अजान सुहेला संपर्क मार्ग	48.69	5.01	43.68	4.38	39.30	34.55	4.75
14	**प्रा.ख. खीरी**	सिकन्द्राबाद मार्ग से रोशननगर संपर्क मार्ग	57.16	1.25	55.91	5.13	50.78	40.57	10.21
15	**प्रा.ख. खीरी**	गोला मोहम्मदी रोड से मूड़ाभाई	15.20	0.33	14.87	1.37	13.50	10.78	2.72
16	**प्रा.ख. खीरी**	शहाबुददीन से छिछौना संपर्क मार्ग	31.96	0.70	31.26	2.87	28.39	22.69	5.70
17	**प्रा.ख. खीरी**	गोला सिकन्द्राबाद मार्ग से राजेपुर	53.97	1.19	52.78	4.85	47.93	38.29	9.64
18	**प्रा.ख. खीरी**	जड़ौरा मार्ग से देवरिया संपर्क मार्ग	24.60	0.54	24.06	2.21	21.85	17.46	4.39
19	**प्रा.ख. खीरी**	अहिरी पिपरा मार्ग	46.62	1.03	45.59	4.19	41.40	33.09	8.31
20	**प्रा.ख. खीरी**	लन्दनपुर से खरगापुर संपर्क मार्ग	121.60	12.43	109.17	10.93	98.24	86.28	11.96
21	**प्रा.ख. खीरी**	कोटवारा सम्पर्क मार्ग	72.99	1.61	71.38	6.56	64.82	51.80	13.02
22	**प्रा.ख. खीरी**	गोला मोहम्मदी रोड से खदनी संपर्क मार्ग	13.13	1.33	11.80	1.18	10.62	9.32	1.30
23	**प्रा.ख. खीरी**	लोधियापुर से चन्दला की ओर संपर्क मार्ग	64.46	9.48	54.98	5.79	49.19	20.08	19.34
24	**प्रा.ख. खीरी**	पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग से नकटी मकसूदपुर मार्ग	46.55	4.04	42.51	4.19	38.32	9.30	13.97
25	**प्रा.ख. खीरी**	चन्दला रोड से सिकतरा मोड़ तक संपर्क मार्ग	46.88	4.09	42.79	4.21	38.58	9.36	14.06
26	**प्रा.ख. खीरी**	नेवली से मुड़िया मार्ग	111.25	16.41	94.84	9.99	84.85	66.39	18.46
27	**प्रा.ख. खीरी**	कुतुबापुर मोहिददीनपुर मार्ग से मढिया संपर्क मार्ग	55.39	8.12	47.27	4.98	42.29	33.09	9.20
28	**प्रा.ख. खीरी**	जे0बी0गंज मोहम्मदी मार्ग से मुकद्दरपुर रैदासमार्ग	57.71	5.07	52.64	5.19	47.45	11.52	17.31
29	**प्रा.ख. खीरी**	मोहम्मदी जे.बी.गंज मार्ग से अम्बेडकर मूर्ति पसगवॉ संपर्क मार्ग	29.83	3.71	26.12	2.68	23.44	21.17	2.27
30	**प्रा.ख. खीरी**	बरैंचा से कुअंरापुर चौराहा	73.80	10.84	62.96	6.63	56.33	52.37	3.96
31	**प्रा.ख. खीरी**	कुम्भी चीनी मिल से सुभास नगर मार्ग	43.10	4.45	38.65	3.87	34.78	24.65	10.13
32	**प्रा.ख. खीरी**	तुलमेलगंज से झाऊपुर	34.28	3.53	30.75	3.08	27.67	10.67	10.28

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		मार्ग							
33	**प्रा.ख. खीरी**	मगदापुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय से भोगियापुर मढिया मार्ग	48.77	1.07	47.70	4.38	43.32	15.59	14.63
34	**प्रा.ख. खीरी**	मिलकेन यार्ड से गंगापुर मार्ग	12.92	0.28	12.64	1.16	11.48	4.04	3.88
35	**नि.ख. सीतापुर**	जरिगवां-ब्रहमावली से गोपौली संपर्क मार्ग	24.66	0.75	23.91	2.22	21.69	17.50	4.19
36	**नि.ख. सीतापुर**	कुंवरपुर चेरेताली मार्ग से गनेशपुर संपर्क मार्ग	62.20	2.30	59.90	5.59	54.31	19.38	18.66
37	**नि.ख. सीतापुर**	चीनी मिल काटा गेट से सूरजपुर मजरा नेटवलग्रन्ट संपर्क मार्ग	69.36	2.25	67.11	6.23	60.88	38.55	20.81
38	**नि.ख.-1 हरदोई**	उधरनपुर से परेली मार्ग	162.28	2.25	160.03	14.58	145.45	65.61	48.68
39	**नि.ख.-1 हरदोई**	शाहाबाद-शिरोमन नगर ग्राम नगला लोथू से कोड़रा सरैंया भाग-1	49.51	0.65	48.86	4.45	44.41	17.80	14.85
40	**नि.ख.-1 हरदोई**	शाहाबाद शिरोमननगर ग्राम नगला लोथू से कोडरा सरैया मार्ग (भाग- 2)	50.36	0.66	49.70	4.53	45.17	15.69	15.11
41	**नि.ख.-1 हरदोई**	शाहाबाद-शिरोमन नगर ग्राम नगला लोथू से कोड़रा सरैंया भाग-3	42.81	0.56	42.25	3.85	38.40	13.33	12.84
42	**प्रा.ख. खीरी**	बांकेगंज मार्ग से कोरैय्या नगरा सलेमपुर संपर्क मार्ग	32.68	0.72	31.96	2.94	29.02	23.18	5.84
43	**नि.ख.-1 हरदोई**	बेहटा गोकुल से कमालपुर सम्पर्क मार्ग	151.64	1.06	150.58	13.63	136.95	107.59	29.36
								योग	**484.03**

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा जी जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों की समस्त शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ओन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल०प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये रू0 4,84,03,000 (रूपये चार करोड़ चौरासी लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371355 चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन ।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन ।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/11 एवं 12, उ0प्र0 शासन ।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।